

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./एफ-44/2019/42

दिनांक : 08/02/19

आदेश

श्री संजय चौटवानी, प्रयोगशाला सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमेर (जयपुर-प्रथम) को राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा संचालित दो वर्षीय डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नालॉजी पाठ्यक्रम के नियमित कोर्स हेतु निम्न शर्तों पर एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

- 1-राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
- 2-राज्यहित में उक्त अनापत्ति को निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास होगा।
- 3-अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
- 4-कार्मिक सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत करा कर ही प्रस्थान करेंगे।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./एफ-44/2019/42

दिनांक : 08/02/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमेर (जयपुर-प्रथम)।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. श्री संजय चौटवानी, प्रयोगशाला सहायक, को द्वारा क्रम संख्या-2 के माध्यम से।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर